



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट में 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को 03 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 21,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवार में पंजीकृत मु0अ0सं0- 266/10 धारा-323,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.लल्लू पुत्र टिरी 2.रामचरन पुत्र लल्लू प्रजापति व 3. एक अभियुक्ता निवासीगण थाना बिवार ,जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व प्रत्येक को ₹ 7,000-7,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ दिनेश कुमार
त्रिपाठी



पैरोकार- थाना बिवार
का0 श्रीकान्त राजपूत